बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

संचिका सं0- 10/योजना-01/2011- 116

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव, समाज कल्याण।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 12.09.17

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 27,40,50,000/- (सताईस करोड़ चालीस लाख पचास हजार) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश सं0-79 दिनांक-17.05.2017 द्वारा राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 7,11,57,000/- (सात करोड़ ग्यारह लाख संतावन हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार आवंटनादेश सं0-94 दिनांक-27.06.2017 द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 7,11,57,000/- (सात करोड़ ग्यारह लाख संतावन हजार) मात्र आवंटित किया गया है।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक आगणन में (232 डी0) द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 27,40,50,000/- (सताईस करोड़ चालीस लाख पचास हजार) मात्र का अतिरिक्त बजट उपबंध कर्णांकित किया गया है। तदनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 27,40,50,000/- (सताईस करोड़ चालीस लाख पचास हजार) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस प्रकार कुल आवंटित राशि रूपये 34,52,07,000/- (चौंतीस करोड़ बावन लाख सात हजार) होगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन पूर्व से निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी होंगे। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपने स्तर से उक्त राशि को आवश्यकतानुसार संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। इस योजना का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा। योजना का अनुश्रवण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि में से 1 (एक) प्रतिशत की राशि प्रशासनिक मद में व्यय किया जायेगा। प्रशासनिक मद में अंकित राशि योजना के प्रचार-प्रसार, प्रपत्र की छपाई, स्टेशनरी, उपस्कर एवं उपकरण के क्रय एवं योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों पर ही व्यय किया जायेगा।

7 राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, निदेशक, समाज कल्याण से प्राप्त आवंटन आदेश के अनुसार करेंगे।

8 राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-103-महिला कल्याण-उपशीर्ष-0109-मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना-0109.31.06-सहायक अनुदान-वैर वेतन के अंतर्गत माँग संख्या-51 से विकलनीय है। इस योजना का विपत्र कोड 51-2235021030109 है।

9 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, 2450 दिनांक-17.04.1999, पत्रांक-41वि0(2) दिनांक 31.01.2002 एवं 2938 वि0(2) दिनांक-08.04.2008 एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

10 यह एक चालू योजना है तथा मूल योजना की स्वीकृति में निर्धारित मापदंड/ अर्हताएं/दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

11 स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका 10/योजना-01/2011 के टिप्पणी पृष्ठ- 179/टि0 पर दिनांक-08.09.2017 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार) 9/17

संयुक्त सचिव, समाज कल्याण।

ज्ञापांक:- 10/योजना 01/2011- 116 पटना, दिनांक- 12- 09-17

प्रतिलिपि : वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, समाज कल्याण/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 9/17

संयुक्त सचिव, समाज कल्याण।

ज्ञापांक:- 10/योजना-01/2011- 116 पटना, दिनांक- 12- 09-17

प्रतिलिपि : सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार) 9/17

संयुक्त सचिव, समाज कल्याण